उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध वाद संख्या–44/2021

राम चन्द्र साहू वगै० बनाम् रामदेव मिश्रा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
21/01/2022		

अभिलेख उपस्थापित। अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ का पत्रांक–07(मु०)/रा०, दिनांक–30.03.2021 द्वारा विविध वाद संख्या–08/2016–17/02/2017–18 राम चन्द्र साहू वगै० बनाम् रामदेव मिश्रा से सम्बन्धित प्राप्त अभिलेख के आलोक में वाद से सम्बन्धित पक्षकारों को अपना–अपना पक्ष/दावा–दस्तावेज रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, रामगढ़, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपने–अपने आदेश फलक में प्रतिवेदित किया है कि प्रथम पक्ष के पिता अयोध्या साव को निबंधित केवाला द्वारा प्रश्नगत भूमि, जो जीरात खाते की भूमि है, खरीदगी हासिल है तथा विधिवत लगान निर्धारण के उरान्त जमाबन्दी कायम होकर लगान रसीद निर्गत है। यह भी अपने आदेश फलक में प्रतिवेदित किया है कि मौजा–मरार के अन्तर्गत खाता संख्या–03, रकबा–6.90 एकड़ भूमि हरिनाथ मिश्रा के नाम से राजस्व पंजी–II के पृष्ठ संख्या–42/13 पर बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से प्रविष्टी की गई है, जिसे रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख सम्पुष्टि एवं अनुमोदन हेतु अभिलेख अधोहस्ताक्षरी न्यायालय को प्राप्त है।

प्रथम पक्ष अर्थात् राम चन्द्र साहू वगै० के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक–25.08.2021 को प्राप्त आवेदन के आलोक में द्वित्तीय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने के कारण प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित जमाबन्दी, जो राजस्व पंजी–II के पृष्ठ संख्या–42/13 पर हरिनाथ मिश्रा के नाम से दर्ज है, के सम्बन्ध में रद्द करने हेतु अंचल अधिकारी, रामगढ़ (दिनांक–20.05.2017/दिनांक–15.02.2020 को पारित आदेश), भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ (दिनांक–10.01.2018/दिनांक–04.01.2021 को पारित आदेश) एवं अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा (दिनांक–20.07.2018/दिनांक–15.03.2021) को पारित आदेश/अनुशंसा के आलोक में वाद की सुनवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–मरार, थाना नं०–144, थाना–रामगढ़ अन्तर्गत खाता नं०–03, प्लॉट नं०–157, 158, 159, 494, 498, 682, 827, 828 एवं 906, कुल जमा रकबा–6.38 एकड़ मध्ये 4.72 एकड़ भूमि से सम्बन्धित लगान रसीद को नियमित करने तथा गलत तरीके से हरिनाथ मिश्रा के नाम से खोली गई जमाबन्दी को रद्द करने हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा विविध वाद संधारित करते हुए वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि वाद से सम्बन्धित प्रश्नगत भूमि, जो जीरात खाते की भूमि है, निबंधित केवाला संख्या–3835, दिनांक–17.11.1944 के द्वारा जीरात मालिक भूतपूर्व जमीन्दार के रूप में श्रीमती रानी रिखीनाथ कुँवरी से खरीदगी प्राप्त है तथा उपायुक्त, रामगढ़ के द्वारा लगान विविध वाद संख्या–128/1963 में पारित आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, रामगढ़ के आदेश से लगान निर्धारण वाद संख्या–08/1963–64 परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी वर्त्तमान राजस्व पंजी–II के पृष्ठ संख्या–165/1 पर कायम है तथा लगान रसीद वर्ष 2017–18 तक निर्गत है। इन्होंने प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित विपक्षी अर्थात रामदेव मिश्रा के पिता हरिनाथ मिश्रा के नाम से गलत तरीके से खोली गई जमाबन्दी को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ ही अयोध्या साव के नाम से कायम जमाबन्दी को नियमित करने हेतु अनुरोध किया है।

द्वित्तीय पक्ष अर्थात रामदेव मिश्रा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–मरार, खाता संख्या–03, प्लॉट नं०–157, 158, 159, 494, 498, 682, 827, 828, 906 एवं 1443 कुल जमा रकबा–6.90 एकड़ भूमि भूतपूर्व जमीन्दार से हुकूमनामा द्वारा प्राप्ति के उपरान्त दखलकार हुए और विधिवत प्रक्रिया के तहत् जमाबन्दी राजस्व पंजी–II के पृष्ठ संख्या–42/13 पर हरिनाथ मिश्रा के नाम से दर्ज की गई है तथा लगान रसीद निर्गत है। इन्होंने आवेदकगण अर्थात प्रथम पक्ष के पिता के नाम से कायम जमाबन्दी को रद्द करने एवं द्वित्तीय पक्ष अर्थात हरिनाथ मिश्रा के नाम से कायम जमाबन्दी को नियमित करने हेतु अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, रामगढ़, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं **अपर समाहर्त्ता, रामगढ़** द्वारा पारित आदेश फलक में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत खाता संख्या–03 जीरात खाते की भूमि है, जो निबंधन संख्या–3835, दिनांक–17.11.1944 से मौजा–मरार, थाना नं०–144, थाना–रामगढ़ अन्तर्गत खाता नं०–03, प्लॉट नं०–157, 158, 159, 494, 498, 682, 827, 828 एवं 906, कुल जमा रकबा–6.38 एकड़ भूमि अयोध्या साव, पिता–हुबलाल साव को प्राप्त है तथा दखलकार है। प्रथम पक्ष खरीदगी भूमि पर विधिवत लगान निर्धारण के उपरान्त जमाबन्दी राजस्व पंजी–II के पृष्ठ संख्या–86A/1 पर अयोध्या साव, पिता–हुबलाल साव के नाम पर खाता संख्या–03, रकाब–6.38 एकड़ भूमि की जमाबन्दी कायम है तथा लगान रसीद निर्गत है, जबकि द्वित्तीय पक्ष के पिता–हरिनाथ मिश्रा के नाम से मौजा–मरार, थाना नं०–144, थाना–रामगढ़ अन्तर्गत खाता नं०–03, प्लॉट नं०–157, 158, 159, 827, 828, 906, 682, 494, 498, 1443 एवं 680 कुल जमा रकबा–6.90 एकड़ भूमि की जमाबन्दी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से तत्कालिन राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा बिना जाँच किये गलत तरीके से पंजी–II के पृष्ठ संख्या–42/13 पर दर्ज की गई है, जो प्रथम दृष्टया में संदिग्ध प्रतीत होता है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि द्वित्तीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजात में उल्लेखित प्लॉट संख्या–680, खाता संख्या–03 की भूमि नहीं है, यह खाता संख्या–44 की भूमि है, जो आदिवासी खाते की भूमि है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का कहना है कि वाद से सम्बन्धित प्रश्नगत भूमि जीरात खाते की है, जिसका स्थानान्तरण निबंधित केवाला के माध्यम से ही नियमतः होनी चाहिए, परन्तु द्वित्तीय पक्ष के द्वारा हुकूमनामा से प्रश्नगत भूमि प्राप्त करने का दावा किया गया है, जो नियम/विधि के विरूद्ध है। जबकि प्रथम पक्ष निबंधित केवाला से प्रश्नगत भूमि प्राप्त करने का दावा किया गया है, जिसका सत्यापन अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा निबंधित कार्यालय से की गई है और सही पाया गया है। इन्होंने प्रथम पक्ष के दावे को विधि–संगत मानते हुए अंचल अधिकारी, रामगढ़, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में द्वित्तीय पक्ष के पिता हरिनाथ मिश्रा के नाम से राजस्व पंजी–II के पृष्ठ संख्या–42/13 पर कायम जमाबन्दी को रद्द करने एवं प्रथम पक्ष अर्थात् अयोध्या साव के नाम से कायम जमाबन्दी को नियमित करने के सम्बन्ध में अपना मन्तव्य न्यायालय के समक्ष दिया गया है।

8/–

मन्तव्य :–

उपय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान सरकारी अधिवक्ता का बहस सुना एवं प्राप्त अभिलेख में अंचल अधिकारी, रामगढ़, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का कहना है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–मरार, खाता नं०–03, जीरात खाते की भूमि है, जिसका स्थानान्तरण निबंधित केवाला के माध्यम से विधिवत है।
2. प्रथम पक्ष के पिता अयोध्या साव द्वारा निबंधित केवाला संख्या–3835, दिनांक–17.11.1944 के द्वारा जीरात मालिक भूतपूर्व जमीन्दार के रूप में श्रीमती रानी रिखीनाथ कुँवरी से खरीदगी प्राप्त है, जिसका सत्यापन अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा निबंधन कार्यालय से किया गया है।
3. राजस्व पंजी–II के पृष्ठ संख्या–86A/1 पर अयोध्या साव, पिता–हुबलाल साव के नाम से मौजा–मरार, खाता नं०–03, रकबा–6.38 एकड़ भूमि की जमाबन्दी कायम है तथा पंजी–II के प्राधिकार कॉलम में रेंट असेसमेंट केस नं०–8/1963–64, Revenue Misc. 128/1963 उपायुक्त, हजारीबाग दर्ज है। वर्त्तमान में ऑनलाईन पृष्ठ संख्या–165/1 पर रकबा–4.72 एकड़ भूमि की जमाबन्दी अंकित है।
4. राजस्व पंजी–II पृष्ठ संख्या–42/13 पर विपक्षी के पिता हरिनाथ मिश्रा के नाम से प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित कायम जमाबन्दी के प्राधिकृत कॉलम पर किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है।
5. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–118 के अनुसार जीरात खाते की भूमि Proprietor की निजी भूमि होती है। जीरात मालिक के द्वारा निबंधन केवाला के माध्यम से ही हस्तांतरित की गई भूमि नियमानुसार वैध है।
6. अंचल अधिकारी, रामगढ़, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ से प्राप्त अभिलेख में मौजा–मरार, खाता संख्या–03, रकबा–6.90 एकड़ भूमि पंजी–II के पृष्ठ संख्या–42/13 पर हरिनाथ मिश्रा के नाम से बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से की गई प्रविष्टि को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

आदेश :–

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, रामगढ़, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश/अनुशंसा तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ से सहमत होते हुए, द्वितीय पक्ष के पिता हरिनाथ मिश्रा के नाम से राजस्व पंजी–II के पृष्ठ संख्या–42/13 पर मौजा–रामगढ़, थाना न0–144, थाना–रामगढ़ अन्तर्गत खाता नं0–3, रकवा–6.90 एकड़ भूमि की जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से की गई प्रविष्टी को रद्द किया जाता है। साथ ही राजस्व पंजी–II के पृष्ठ संख्या–86A/1 पर अयोध्या साव के नाम से कायम जमाबन्दी को सही मानते हुए लगान रसीद नियमित करने हेतु अंचल अधिकारी, रामगढ़ को आदेश दिया जाता है। अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ से प्राप्त मूल अभिलेख वापस करें। साथ ही आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, रामगढ़ को विधिक अग्रेतर–आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। इसी मन्तव्य एवं आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
21.01.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
21.01.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.02.14 14:45:51 +05:30
Location: 192.168.0.3